

पंचायत आम निर्वाचन- 2021  
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-158/2021 4030  
प्रेषक,

सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,  
जिला पदाधिकारी-सह-जिला  
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)  
औरंगाबाद।

पटना, दिनांक- 17.9.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।  
प्रसंग:- आपका पत्रांक-1809/पं0, दिनांक-11.09.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	गोह	1	0	1
2	हसपुरा	1	0	1
कुल		2	0	2

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- 4030 /-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 17.9.21 /-

सचिव।

ज्ञापांक- 4030 /-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल गया को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 17.9.21 /-

सचिव।

ज्ञापांक- 4030 /-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

पटना, दिनांक- 17.9.21 /-

सचिव।

सचिव।

0

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली सूची

जिला - औरंगाबाद

प्रवर्द्ध-गौड

पंचायत-सुरकुण्डा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मरदान केन्द्र सं०	आयोग से पूर्व में अनुमोदित मरदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित मरदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/अविवरण	मरदान केन्द्र का विस्तार (प्रामाणिक संख्या .....)	मरदाना सूची के आधार पर कुल मरदानाओं की संख्या	भवन सरकारी/अर्द्ध सरकारी/अथवा कर्मियों की नहीं	भवन में कुल मरदाना क्षमता की संख्या	म० के० तक मरदाना क्षमता वगैरे को जाने वाली अधिकतम दुरी	प्रदेश एवं विकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	म० के० पर मरदाना एवं मरदाने हेतु कर्मचारियों की लिंग निर्भर बेकार आ जा सकते हैं अथवा नहीं	अनुमति
91	प्रथमिक विद्यालय शशी परिवर्ती भवन	कन्या प्राथमिक विद्यालय शशी	पूर्व से अनुमोदित मरदान केन्द्र में कर्मियों की कुल संख्या 01 (एक) है, जबकि मरदान केन्द्र संख्या 90 उचित भवन से पूर्व से अवस्थित एवं अनुमोदित है।	09-सुरकुण्डा	1-530	सरकारी	3	300 मी०	हां	हां	उक्त विद्यालय वर्ड नं०- 09 में अवस्थित है।

17.10.2021  
 [Signature]  
 [Signature]

[Signature]

जिला/पंचायत पदाधिकारी (50),  
 -सदर-  
 जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद

[Signature]  
 B.P.R.

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  
 [Signature]  
 [Signature]

10

विभाग- औरंगाबाद  
 आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली सूची

प्रपत्र 2

प्रकार-हस्तपुस्तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भरतदान केन्द्र का क्रम सं०	आयोग से पूर्व में अनुमोदित भरतदान केन्द्र का नाम एवं स्थान	संशोधित भरतदान केन्द्र का नाम एवं स्थान	संशोधन का कारण/ओचित्य	भरतदान केन्द्र का विस्तार (प्रतिनिर्दिष्ट संख्या)	भरतदाता सूची के आधार पर कुल भरतदातारों की संख्या	भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता संख्या	भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता की संख्या	प्रतिभेद के लिए भरतदाता द्वारा नया भेजा जाने वाला ओचित्य	प्रस्ताव एवं विकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	प्रतिभेद एवं नए भेजे हुए भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता की संख्या	अनुमोदित
171	भगवान श्री कृष्ण उच्च विद्यालय गोडसरी (उत्तरी भाग)	राजकीय मध्य विद्यालय, गोडसरी	भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता होने के कारण	1	1-412	सरकारी	0.5 कि०मी०	हां	हां	भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता/अर्द्ध भरतदाता होने के कारण प्रतिनिर्दिष्ट संख्या-01 में ही भरतदान केन्द्र बनाया जा सकता है।	

10/10/2024  
 10/10/24

2024

दिनांक 11/11/2024  
 भरतदान परामर्शकारी (प०)  
 औरंगाबाद

B  
 05/09/20

10/10/24  
 10/10/24

10